




FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बमुकाम : नावां जिला नागौर राजस्थान
नन्दाराम पुत्र आसुराम जाति मेघवाल बनाम आसाराम पुत्र चुनाराम जाति मेघवाल वगै.
सा. लोरा का बास नालोट तह. कुचामन सिटी सा. लोरा का बास नालोट तह. कुचामन सिटी

किस्म मुकदमा : 88,188 आर.टी. एक्ट

मुकदमा नम्बर 208/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
01.09.2022	<p>वादी की ओर से अधिवक्ता श्री विष्णुधर शर्मा यह वाद पत्र पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 06.10.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  (ब्रह्मलाल जर्त) उपखण्ड अधिकारी, नावां </p>	
6/10/22	<p>उपपत्र उपरो. प्रतिवादी संख्या 1 ग 3 की ओर से Adv. श्री आन-दीलाल शुभावन नेवकलनामा पेश किया जो शामिल मिश्रण हो पत्रावली वार्ते लकापा तलबी व अवाक दि. 30/11/22 को पेश हो</p> <p style="text-align: center;">  </p>	
18/11/22	<p>पत्रावली वादी द्वारा उपपत्र प्रस्तुत करने पर आज पेश हुई वादी ने उपपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपसी राजीनामा हो चुका है इसलिए इस प्रकरण को आगे नहीं चलाया जाये है इसलिए इस वाद पत्र जरिये विज्ञापन खोजि किया जावे।</p> <p>अतः वादी के निवेदन पर वादी का वाद पत्र जरिये विज्ञापन खोजि किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फौजल शुभाव होकर शामिल दफ्त हो</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी नावां (नागौर) </p>	